

#527

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठस्थीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ...)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1047

दापर दिनांक 09/10/25 निर्णय दिनांक

09/10/25



ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्र.सं.	नाम - धारण	स्थान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	हसा अधी	१५	महोदय जी, निवेदन है कि मुलांतिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	तहसीलदार कपासन की अनुशंघा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खालास</u> प.ह. <u>कपासन</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

प्रतिनिधि पालनाथ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशा मुसरीय कपासन जिला चितौडगाढ करें।

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)

कपासन जिला-चितौडगाढ

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)

तहसील कपासन जिला-चितौडगाढ